

कार्यालय आदेश संख्या- 24/18

महाप्रबन्धक(का)/गोरखपुर के पत्र संख्या-का /283 /15 /खुरामी-राकु/ अरे/ छ:/लूज /गोरखपुर दिनांक-12.05.17 के द्वारा श्री खुशीराम मीना(अजजा), टिकट परीक्षक(पे बैण्ड-5200-20200+2000ग्रेड पे)इलाहाबाद सीटी वाराणसी मंडल/पूर्वोत्तर रेलवे के साथ श्री राजेश कुमार पुत्र मुन्नीजी टिकट परीक्षक (पे बैण्ड-5200-20200+2000ग्रेड पे)भोपाल मंडल/पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर का उनके स्वयं के अनुरोध पर वर्तमान नियमों के अर्न्तगत पारस्परिक स्थानान्तरण पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उक्त के अनुपालन स्वरुप स्टेशन अधीक्षक इलाहाबाद सिटी के पत्र दिनांक-15.02.18 के द्वारा विरमित होकर श्री खुशीराम मीना(अजजा), टिकट परीक्षक(पे बैण्ड-5200-20200+2000ग्रेड पे) ने दिनांक-15.02.18 को इस कार्यालय मे रिपोर्ट किये है, को आज दिनांक-15.02.18 अप्राह्व से भोपाल मंडल पश्चिम मध्य रेलवे के लिए विरमित किया जाता हैं

यह पारस्परिक स्थानान्तरण कर्मचारी के निजी अनुरोध पर है, अतएव इन्हें स्थानान्तरण पर मिलने वाली कोई सुविधा देय नहीं होगी मात्र पारस्परिक स्थानान्तरण नियमों के अनुसार वरीयता देय होगी।

उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी का आदेश प्राप्त है।

(सत्यनारायण उराँव)

सकाधि

कृते मंडल रेल प्रबन्धक(का.)

वाराणसी

दिनांक-15.02.18

संख्या-का/वा/283/चटिप संवर्ग/2011/अरे.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-महाप्रबन्धक(का)/गोरखपुर

2. मंडल रेल प्रबन्धक(कार्मिक)/भोपाल/पश्चिम मध्य रेलवे

3. वमवाप्र/वारा

4. वमविप्र/वाराणसी

5. कार्यालय आदेश पुस्तिका

6. कार्याधी परिचालन बिल/एमपीपी सेल

7. स्टेधी/मुवानि/इलाहाबाद सीटी

8. संबन्धित कर्मचारी 9. मंडल मंत्री नरमू अजा जजजा एसौ. वाराणसी

9. अन्य प्रति

कृते मंडल रेल प्रबन्धक(का.)

वाराणसी